

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-19.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **49 वाहनों से मु0- 8300 रु0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल-11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-04 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 80 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

01. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामा सिंह नि0 विजयी पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-114/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बलराम पुत्र स्व0 मंहगू नि0 टेढ़िया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-94/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम व 02. अन्नतराम सोनकर पुत्र स्व0 सुन्दर सोनकर नि0 किनकी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-95/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राहुल पाठक पुत्र ओम प्रकाश पाठक नि0 खैरी निकट बंगाली डॉक्टर के घर के पास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-300/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना को0 नगर द्वारा बलात्कार का प्रयास करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा बलात्कार का प्रयास करने का आरोपी अभियुक्त- अभिषेक उपाध्याय पुत्र रघुराज उपाध्याय निवासी छेदीपुरवा निकट दुःख हरननाथ मंदिर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-250/19 धारा 323.324.354.376.511.506 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.03.2019 को थाना को0 नगर क्षेत्र में अपने घर पर वादी की पुत्री को बुलाकर गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना, बलात्कार का प्रयास करना व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना को0 नगर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 19.04.19 को उ0नि0 अमर सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना नवाबगंज द्वारा बलात्कार करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोपी अभियुक्त- दिलशाद उर्फ मोनू पुत्र मो0 हुसैन निवासी मोहल्ला संचरही कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-114/19 धारा 376.323.504.506 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना नवाबगंज में दिनांक 16.04.2019 को उक्त अभियुक्त के विरुद्ध

अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 19.04.2019 को निरीक्षक अपराध थाना नवाबगंज मय हमराह फोर्स के साथ उक्त आरोपी अभियुक्त को कटी तिराहा कस्बा व थाना नवाबगंज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोपी अपचारी अभियुक्त गिरफ्तार—

जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोपी अपचारी अभियुक्त—मुन्नाराम लोध पुत्र कैलास लोध निवासी भोपतियापुर मौजा बसंतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0—111/19 धारा 376 भा0द0वि0 व 384 पाक्सो एक्ट के तहत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

उक्त अपचारी अभियुक्त पर थाना परसपुर क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 15.04.19 को उक्त अपचारी अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 19.04.19 को थानाध्यक्ष परसपुर द्वारा आरोपी अपचारी अभियुक्त को उसके घर से पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल— 05 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी—

01. 80 ली0 अवैध कच्ची शराब।

सराहनीय प्रेस नोट जनपद गोण्डा दिनांक 19.04.19

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा बैरियर चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता—

01. बाबू पुत्र बहादुर निवासी पहलीपुरवा मौजा बरांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 600 ग्राम गांजा नाजायज बरामद।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0—98/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0—111/18 धारा 457, 380 आईपीसी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मु0अ0सं0—316/16 धारा 379, 411 आईपीसी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 19.04.2019 को उ0नि0 रमाकांत मय हमराह फोर्स के साथ आगामी लोक सभा चुनाव के द्रष्टिगत रात्रि गश्तध्वैरियर चेकिंग में मामुर थे कि नसीरपुर बैरियर पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोककर जाँच व पूछताछ की गयी तो उसके कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटरा बाजार में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 रमाकांत।

02. हे0का0 जगदीश राय।

03. का0 संजय कुमार।